

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0-8डी0(बजट-आवंटन-2225) 11-03/2026 90

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक-07/08/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के संधारणार्थ अगले चार माह के लिए कुल ₹1,20,01,570/- (एक करोड़ बीस लाख एक हजार पाँच सौ सत्तर रु0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या-01 दिनांक 02.04.2026, आवंटनादेश संख्या-71 दिनांक 22.06.2026, आवंटनादेश संख्या-74 दिनांक 07.07.2026 एवं आवंटनादेश संख्या-86 दिनांक 24.07.2026 के द्वारा आवंटन दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ अगले चार माह के लिए वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार ₹1,20,01,570/- (एक करोड़ बीस लाख एक हजार पाँच सौ सत्तर रु0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग संख्या-44 के मुख्य शीर्ष-मुख्य शीर्ष-2225-अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001 निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.1101-यात्रा व्यय, 0001.1301-कार्यालय व्यय, 0001.1302-वाहन ईंधन एवं रख-रखाव, 0001.1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 0001.1303-दूरभाष, 0001.1305-विधि प्रभार, 0001.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0001.2002-कॉन्फरेस, कार्यशाला, सेमिनार, 0001.2802-संविदा सेवाएँ, 0001.0501-पुरस्कार, 0001.2003-प्रशिक्षण व्यय, मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

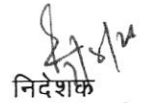
3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

4-वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/98 एवं 380/वि0 दिनांक 20.04.2026 तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

6- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाय।

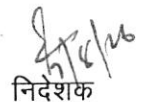
विश्वासभाजन,



निदेशक

ज्ञापांक- 8डी0(बजट-आवंटन-2225) 11-03/2026 90 पटना, दिनांक-07/08/2026

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना /वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0)/सचिव कोषाग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (मुख्यालय)/प्रशाखा पदाधिकारी, 02डी0/प्रशाखा पदाधिकारी, 7जी0(लेखा शाखा), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/वित्त विभाग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजरअनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक- 8डी0(बजट-आबंटन-2225) 11-03/2026 90

पटना, दिनांक- 02/08/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के मुख्यालय एवं निदेशालय अन्तर्गत स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के संधारणार्थ अगले चार माह के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि:- (राशि रुपये में)

क्रमांक	ईकाई मद	अतिरिक्त आवंटित राशि
1	2	3
1	0001 0601-चिकित्सा प्रति पूर्ति	1,32,000 /-
2	0001 0501 पुरस्कार	1,920 /-
3	0001 1101-यात्रा भत्ता	4,00,000 /-
4	0001 1301-कार्यालय व्यय	20,00,000 /-
5	0001 1303-दूरभाष	25,000 /-
6	0001 1302-वाहन का इंधन एवं रखरखाव	2,00,000 /-
7	0001 1310- भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,00,000 /-
8	0001 2802- संविदा सेवाएं	38,00,000 /-
9	0001 2003-प्रशिक्षण व्यय	52,45,650 /-
10	0001 2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	64,000 /-
11	0001 1305-विधि प्रभार	33,000 /-
	योग :-	1,20,01,570 /-

कुल राशि(एक करोड़ बीस लाख एक हजार पाँच सौ सत्तर रू0)मात्र

निदेशक।